ऑन लाईन नं.RCMS2022/291

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 33/2022

श्री जीत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री अनिल कुमार पुत्र श्री भानीराम
   मै0 नारंग स्वीट्स, मेन बाजार, केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय दिनांक : 06.01.2023

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री जीत सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 26.07.2011 के गजट में भाग 2(क) पर प्रकाशित हुआ है एवं संशोधित गजट नोटिफिकेशन दिनांक 25.08.2011 को प्रकाशित कर दिया गया । व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्यक्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश कमांक निदेशालय के आदेश कमांक- खाद्य सुरक्षा/निदे0/2022/337 दिनांक 20.04.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्री जीतसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.10.2022 को 2.30 पी.एम. का **मै0** नारंग स्वीट्स, मेन बाजार, केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचा। मौके पर विक्रेता अनिल कुमार पुत्र श्री भानीराम अपना परिचय देकर दुकान पर रखे **बर्फी मिठाई (मावा मिठाई)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान पर रखी 10 किलोग्राम **बर्फी मिठाई (मावा मिठाई)** को आमजन के बेचान वास्ते होना बताया। मुझे इसी **बर्फी मिठाई (मावा मिठाई)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **बर्फी मिठाई (मावा मिठाई)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5ए भरकर देते हुए वरवक्त की मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय हेतु उपलब्ध **बर्फी मिठाई (मावा मिठाई)** में से 2.00 किलोग्राम **बर्फी मिठाई (मावा मिठाई)** विक्रेता से खरीद कर एक साफ सूखे बर्तन में खरीद कर लिया तथा चार बराबर भागों

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

मे बाटकर चार साफ सूखी खाली प्लास्टिक की सीसी जो मेरे पास उपलब्ध थी मे भरकर लिया। विक्रेता का मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **बर्फी मिठाई (मावा मिठाई)** का नगद भुगतान 560/– रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतिया तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एव समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री अनिल कुमार एव गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक श्री अनिल को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **बर्फी मिठाई (मावा मिठाई)** को बराबर भागो में बांटकर चार बोतलों भरकर लिया। चार बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगगानगर **के कोड व कमांक के 1505** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1505** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री अनिल कुमार एवं गवाहान ने भी पढकर,समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये । फर्द रिपोर्ट मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक : एलएस/684/एक्ट/2022/684 दिनांक 07.06.2022 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1505 Sub-standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री लोचन साई पुत्र स्व. श्री नरेन्द साई **मै0** श्याम फालुदा, रबड़ी कूल्फी, गोल बाजार, जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **बर्फी मिठाई (मावा मिठाई)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एव मानक

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 01.12.2022 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी दूध विक्रेता से दूध की खरीददारी कर बर्फी मिठाई (मावा मिठाई) बनाता है तथा उस दिन प्रार्थी द्वारा दूध विक्रेता से दूध खरीद कर मिठाई बनाई गई तथा आवेदक द्वारा उसी का सैम्पल लिया गया, जिस पर प्रार्थी द्वारा किसी भी तरह की अन्य कोई मिलावट नहीं की गई और ना ही जांच में कुछ मिलावट पायी गई। जिसका सैम्पल आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 01.11.2022 को लिया गया जिसमें प्रार्थी द्वारा मिठाई तैयार करते वक्त उसमें कुछ भी अन्य पदार्थ सब-स्टैण्डर्ड फूड का उपयोग नहीं किया गया क्योंकि प्रार्थी दूध , दूध विक्रेता से खरीद करता है। इसलिए प्रार्थी इसमें किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नही है लेकिन फिर भी प्रार्थी एफ.एस.एस.ए एक्ट 2006 की धारा के अनुसार जुर्माना अदायगी के लिए तैयार है। अतः जवाब पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण में निर्धारित जुर्माना लेकर प्रार्थी के वाद का निरस्तारण किये जाने का आदेश प्रदान करें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **बर्फी मिठाई (मावा मिठाई)** का सैम्पल **K-1589** जांच रिपोर्ट क्रमांक : एलएस/1023/एक्ट/2022/1023 दिनांक 01.11.2022 द्वारा **Sub-standard Food as extracted fat does not conform the standard of milk fat.** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी दूध विक्रेता से दूध की खरीददारी कर बर्फी मिठाई (मावा मिठाई) बनाता है तथा उस दिन प्रार्थी द्वारा दूध विक्रेता से दूध खरीद कर मिठाई बनाई गई तथा आवेदक द्वारा उसी का सैम्पल लिया गया, जिस पर प्रार्थी द्वारा किसी भी तरह की अन्य कोई मिलावट नहीं की गई और ना ही जांच में कुछ मिलावट पायी गई। जिसका सैम्पल आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 01.11.2022 को लिया गया जिसमें प्रार्थी द्वारा मिठाई तैयार करते वक्त उसमें कुछ भी अन्य पदार्थ सब स्टैण्डर्ड फूड का उपयोग नहीं किया गया क्योंकि प्रार्थी दूध , दूध विक्रेता से खरीद करता है। इसलिए प्रार्थी इसमें किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है लेकिन फिर भी प्रार्थी एफ.एस.एस.ए एक्ट 2006 की धारा के अनुसार जुर्माना अदायगी के लिए तैयार है। अतः जवाब पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण में निर्धारित जुर्माना लेकर प्रार्थी के वाद का निस्तारण किये जाने का आदेश प्रदान करें।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Brafu Mathai (Mava Mithai)"Code No and Sr. No. K-1589 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar Sub-standard Food as extracted fat does not conform the standard of milk fat as prescribed in Food Safety and standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations. 2011** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नही है।

अति.जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

फलस्वरूप अभियुक्त श्री अनिल कुमार पुत्र श्री भानीराम को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त श्री अनिल कुमार पुत्र श्री भानीराम को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 5,000 -00 (अखरे रूपये पाच हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में श्री अनिल कुमार पुत्र श्री भानीराम खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पडे। इन आदेशो की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. हरीतिमा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर